**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3362**

**26 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए**

 **सेना शिविरों पर हमले**

**3362.श्री देरेक ओब्राईनः**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में सेना शिविरों पर हमले की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं और इन हमलों में शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन हमलों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सेना की जंगी वरदी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, यदि हां, तो उनकी बिक्री पर निगरानी रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) गैरीसन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ड.) क्या सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कैम्पोस समिति रिपोर्ट, 2016 की सिफारिशों को लागू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): पिछले तीन वर्षों (2015 से 2017) के दौरान सेना शिविरों पर हुए हमलों की संख्या और उन हमलों में मारे गए सैनिकों की संख्या निम्नलिखित हैः-

|  |  |
| --- | --- |
| हमलों की संख्या |  सैनिक (गम्भीर रूप से हताहत) |
| 08 | 29 |

(ख): सेना शिविरों पर होने वाले सभी हमलों की विस्तृत जांच की जाती है । आरम्भिक जांच में यह पाया गया कि ये हमले आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए थे । भीतरी भाग पर आतंकी हमले छद्म युद्ध रणनीति का भाग होते हैं ताकि भीतरी भाग में स्थित स्थापनाओं की सुरक्षा में सैन्य रिजर्व को प्रभावित किया जा सके ।

(ग): भारतीय दण्ड संहिता की धारा 140 के तहत अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सैनिकों, नाविकों अथवा वायुसैनिकों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक पहनना अथवा उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले टोकन रखना दण्डनीय अपराध है ।

(घ) से (च): लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज समिति की रिपोर्ट, 2016 की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए रक्षा सेनाओं को दिनांक 28.11.2016 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे । उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में रक्षा सेनाओं ने सैन्य बेसों का जोखिम श्रेणीकरण; आसूचना एकत्र करने की क्षमताओं का आकलन और उन्नयन; प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ और सरल तथा कारगर बनाना; मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी); सभी सैन्य प्रतिष्ठापनों का सुरक्षा ऑडिट करने इत्यादि जैसे अनेक उपाय किए हैं । सेना भी उन आतंकी घटनाओं और सुरक्षा उल्लंघनों का गहराई से विश्लेषण करती है जिनकी विभिन्न घटनाओं में पहचान की गई है । सभी तीनों सशस्त्र सेनाओं की परिधि सुरक्षा परियोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं ।

**\*\*\*\*\***